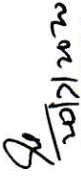


भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	जबलपुर जिले के अंतर्गत मध्यप्रदेश शहरी सेवा उन्नयन कार्यक्रम के तहत सरस्वती घाट से भेड़ाघाट तक पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.09 हेक्टेयर वन भूमि म0प्र0 शहरी विकास कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 20.07.2020

स्थान: भोपाल


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal